FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...... (SDO) ...... मुकाम ......

...... मालाराम वगैरा ...... बनाम ...... रुगनाथराम वगैरह ......

किस्म मुकदमा ...... 111, 128 रा.भू.अधि. ...... नं. ...... 141 ...... सन् ...... 2019 ......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...... [illegible] ...... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा ...... 111, 128 ...... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.05.19 ...... को पेश हो।	
29/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्म तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/06/19 को पेश हो।	
25/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फर्म तामील अप्राप्त। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या-59 चैनासिंह पुत्र मोतसी सूचना जो लाकोलाद फौत हो गया जिनका नाम विलोपित करने मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/0[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:31:10 IST
Reason: SelfAttested

16/09/19

पत्रावली आज पेश हुई। बदुलाव पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/10/19 को पेश हो।

14/10/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित/न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई। विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दौरानी दुरूस्ती स्वीकार कीया जाकर विपक्षीगण संख्या-59 चैनसिंह का नाम आवेदन से विलोपित कीया जाता है व संशोधित शीर्षक रेकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन कीया गया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत कायम में सेढ सेढ आये हुए हैं। जिनके सेढो पर पुरानी मेढे व कच्चे आंधियों की वजह से हट गये हैं जिससे सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिसके कारण वर्तमान काश्त पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सेढो को लेकर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेप्पामबन्दी करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी का नेप्पामबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नेप्पामबन्दी आदेश कीया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेप्पामबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बापडू को कमिश्नर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ [illegible] भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेप्पामबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम दी. दाखिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:31:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 682 दिनांकः– 15/10/19

राजस्व आवेदन संख्या – 141/19

प्रार्थीगण बनाम **विप्रार्थीगण**

श्री मालाराम पुत्र भैराराम वगैरा 4 जातियान्—जाट, निवासीयान्—नरसाली नाडी, तहसील—बायतु, जिला—बाड़मेर

श्री रूगनाथराम पुत्र राहींगाराम वगैरा 68 निवासीयान्—नरसाली नाडी, तहसील—बायतु, जिला—बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नरसाली नाडी पटवार हल्का कोलू के खेत खसरा नम्बर 952, 959, 996, 997, 1006, 1024 रकबा क्रमशः 36.02, 55.11, 00.03, 13.15, 09.11, 10.07 बीघा कुल रकबा 125.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 683-87 दिनांकः– 15.10.19

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मालाराम पुत्र भैराराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री रूगनाथराम पुत्र राहींगाराम वगैरा 68।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:31:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु